

2/11/2010 को अन्तरिम रक्षण आदेश
जारी हो रखा है। पत्रावली पर बहस
द्वारा उम्मतपक्षकारान आवरण रूप से
दिनांक 3/3/25 को पेश है।

3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील
उम्मतपक्षकारान उपस्थित। बहस पक्षकारान
सुनी गई पत्रावली वाले निम्नलिखित दिनांक
26.03.25 को पेश है।

3/26 अन्य पक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित
P.O. महोदय अवकाश/
भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। मिसा
दिनांक 2/4/2025 को पेश है।

2/4 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
पत्रावली पर बहस शुरू पेशी पर सुनी जा चुकी है।
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर भवन किता
गमा। पत्रावली में दिनांक 2/11/2010 के अन्तरिम
निषेधाज्ञा का आदेश जारी हो रखा जो निरन्तर है।
पत्रावली के संबंधित कूल वर न्यायालय विभाग के
जिदमे उनकी वार निम्नलिखित पारित होना है।
पक्षकारान की परिस्थितियों को देखते हुए एवं
धकका 10 वर्षों के अधिकतम से लंबित है।



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को दृष्टिगत रखते हुए फावली पर पारित
आदेश 21/11/2018 को फावली से संबंधित
मूल वाद के निस्ताखत को अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश को निरस्त स्थाई कर अप्राथमिकता को
पाबंध किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्ताखत
उक्त विवादित कवि अति ख. न. 122/96/3
गादी 54-168/1971 रोमी अखत गैरस्त गहकील
सरकारवाह के प्रती अति को खुद-बुद नहीं करे
और प्रार्थना कि वे कवि अति की मंग
की प्रथास्थिति मूल वाद के निस्ताखत को
बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 2/4/25
को लिखवाया जाकर अखत अ्यामालप में बुनाया
गया। फावली फौजल अुमा होकर मूल वाद
के साथ सलंगन रहे। फावली वाकिल दफतर है।

